(7) पुरानी तकनीक का प्रयोग :- इन समितियों के सदस्य आज भी पुराने ढंग के यन्त्रों तथा पुरानी तकनीक का ही प्रयोग कर रहे हैं। इससे एक तो वस्तु की लागत अधिक आती है जबकि दूसरे वस्तु भी सुन्दर नहीं बन पाती।

(8) कारीगरों की अशिक्षा :- देश के अधिकांश कारीगरों में शिक्षा का अभाव है जिस कारण वे सहकारी आधार पर उत्पादन व्यवस्था को अपनाने में सफल नहीं हो पाते।

(9) दोषपूर्ण प्रबन्ध :- अनेक समितियों में एक या गिने-चुने व्यक्तियों का ही प्रभुत्व देखने में आया है। अधिकांश सदस्य निष्क्रिय पाये गये।

(10) अंकेक्षण का अभाव :- औद्योगिक समितियों में खातों का समुचित ढंग से अंकेक्षण नहीं किया जाता जिस कारण वर्तमान पदाधिकारी हेरा-फेरी करने में सफल हो जाते हैं।

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति के लिए सुझाव

भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति के लिए निम्न कार्य किये जाने चाहिये →

(1) सरकारी सहायता :→ राज्य सरकार औद्योगिक सहकारी समितियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती है -

(i) सरकार को समितियों के अधिकांश हिस्से खरीदने चाहिए।

(ii) कच्चे माल में यथोचित मात्रा में आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करने चाहिए।

(iii) मशीनें, यन्त्र आदि खरीदने के लिए समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय

(iv) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए

(2) साख-सुविधाओं में वृद्धि :- इसके लिए केन्द्रीय संघों के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें।

(3) सहकारी समितियों का पुनर्गठन :- औद्योगिक सहकारी समितियों की कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को इनका पुनर्गठन करना चाहिए।

(4) विवेकीकरण योजना लागू करना :- राज्य सरकार को इन समितियों की उत्पादन लागत को घटाने तथा इनके उत्पादन की किस्म में सुधार करने हेतु विवेकीकरण योजना तैयार कर उसे लागू करना चाहिए

(5) उचित अंकेक्षण व्यवस्था :- इन समितियों के खातों की समुचित जाँच के लिए अंकेक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि संचालन कार्य में सुधार होगा।

2 Q:- भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता के कारण बताइये। इन्हें सफल बनाने हेतु क्या किया जा सकता है?

Ans:- 'औद्योगिक सहकारिता' के अन्तर्गत वे सहकारी समितियाँ आती हैं जो शिल्पियों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों तथा लघु उद्योगपतियों द्वारा स्वेच्छा, समानता तथा पारस्परिक सहायता के आधार पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित की जाती हैं। औद्योगिक सहकारी समितियाँ प्रायः बढ़ई, लोहार, जुलाहे, मोची आदि द्वारा बनाई जाती हैं।

एक ओर औद्योगिक सहकारी समितियों में वे समितियाँ आती हैं जो उत्पादन कार्य करती हैं जबकि दूसरी ओर ऐसी समितियाँ भी होती हैं जो केवल सेवा ही प्रदान करती हैं।

भारत में औद्योगिक सहकारिताओं की असफलता के कारण :-

(1) वित्तीय कठिनाइयाँ :- वैसे तो इन समितियों को विभिन्न संस्थाओं से ऋण प्राप्त होते हैं फिर भी इनके पास सदैव पूँजी की कमी हो रहती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इन समितियों के सदस्य अत्यन्त निर्धन होते हैं।

(2.) कच्चे माल को मिलने में कठिनाई :- अधिकांश समितियों को समय पर तथा उचित मूल्य पर कच्चा माल नहीं मिल पाता। कभी-कभी कच्चे माल के अभाव में इन्हें अपना कारोबार भी बन्द कर देना पड़ता है।

(3.) प्रेरणा का अभाव :- यूरोपीय देशों में उत्पादन क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों का प्रादुर्भाव श्रमिकों के निजी साहस के फलस्वरूप हुआ। किन्तु भारत में श्रमिकों में पहल भावना का अभाव पाया जाता है, जिस कारण देश में औद्योगिक सहकारिता सफल नहीं हो सकी है।

(4) विपणन की अपर्याप्त सुविधायें :- इन समितियों द्वारा तैयार माल की बिक्री का उचित प्रबन्ध नहीं है जिस कारण सदस्यों को अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। विवश होकर इन्हें अपना माल मध्यस्थों को बेचना पड़ता है जो इनका शोषण करते हैं।

(5.) साख सुविधाओं की प्रधानता :- भारत में अधिकांश सहकारी समितियाँ साख-समितियाँ हैं जो अपने सदस्यों को केवल साख सुविधायें प्रदान करने का कार्य करती हैं।

(6) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव :- वित्तीय स्थिति के कमजोर होने के कारण ये समितियाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाती।